Session 12

COVID – 19 रक्षा उपाय स्थानीय स्वशासन मार्गदर्शिका

सुभिक्षा केरलम
लक्ष्य और प्रणाली

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF KERALA
Kerala Institute of Local Administration (KILA)
01/06/2020

सुभिक्षा केरलम - लक्ष्य

- खाद्य सुरक्षा
- खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता
- मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन से राजस्व में वृद्धि
- किसानों और कृषि श्रमिकों का कल्याण
- और अधिक नौकरियां
- पर्यावरण की बहाली

सुभिक्षा केरलम परियोजना के लिए अवसर

- मजबूत स्थानीय स्व सरकारी संस्थान
- जैविक खाद्य उत्पादों और सब्जियों का बाजार मूल्य - निर्यात क्षमता सहित
- संगठनात्मक प्रणाली
  - ❖किसान संगठन
  - ❖कुदुम्बश्री
- स्वयंसेवक
- विदेशों से और अन्य राज्यों से श्रम बल लौटना
- सहकारी आंदोलन
  - ❖ग्रामीण ऋण,
  - ❖उत्पाद की खरीद और विपणन

सुभिक्षा केरलम खाद्य सुरक्षा - केरल की संभावना

अनाज

सब्जियां

फलों की प्रजाति

कंद प्रजाति

मसाला

सुभिक्षा केरलम खाद्य सुरक्षा - केरल की संभावनाएँ

दूध

अंतर्देशीय मत्स्य खेती

अंडे

मांस

सुभिक्षा केरलम - परियोजना का ध्यान

I. परती भूमि पर खेती करें

II. बागवानी और इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देना

III. एक करोड़ फलदार वृक्ष उत्पादन परियोजना

IV. अंडा, दूध और मांस उत्पादन पर जोर देने के साथ पशु कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देना

सुभिक्षा केरलम परियोजना का ध्यान

V. अंतर्देशीय मछली पकड़ने को बढ़ावा देना

VI. स्थानीय बाजार सुविधाओं की तैयारी

VII. खाद्य प्रसंस्करण - मूल्य वर्धित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना

VIII. उत्पाद भंडारण

समर्थन प्रणाली

- समन्वय, परियोजना योजना, कार्यान्वयन और निगरानी
  - स्थानीय स्व सरकारी संस्थान - ग्राम पंचायतें / शहरी परिषद
- तकनीकी सहायता और सलाह
  - कृषि विस्तार सेवाएँ
    - ✓ कृषि अधिकारी और कुदुम्बश्री के निर्देशन में
  - कृषि ज्ञान केंद्र, कृषि सेवा केंद्र, किसान सुविधा केंद्र, कृषि सेवा केंद्र
  - विश्वविद्यालय - कृषि, पशु चिकित्सा और मत्स्य पालन
  - बीज खेत
  - फसल स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के हिस्से के रूप में ब्लॉकों और नगर पालिकाओं में नियुक्त कीट स्काउट्स
  - मास्टर किसान
  - तकनीकी सहायता समूह का गठन - ग्राम पंचायत / शहरी परिषद स्तर पर

समर्थन प्रणाली

- उत्पादकों और सब्सिडी सहायता
  - गृह स्वचालन विभाग की सब्सिडी दिशानिर्देशों के तहत सब्सिडी
  - संबंधित विभागों की परियोजना / योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गतिविधियाँ
- फसल बीमा - सरकारी योजना
- सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा
  - जल आपूर्ति और कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से
  - महात्मा गांधी एन.आर.ई. जी एस प्राकृतिक प्रबंधन गतिविधियों

व्यंजन

- स्थानीय स्व सरकारी संस्थान आवंटन
  - आपको अपने गैर-आवश्यक खर्चों को समायोजित करने और पैसा बनाने की आवश्यकता है
  - वर्तमान में परियोजना में शामिल सभी कृषि संबंधित परियोजनाओं को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें समृद्धि केरल परियोजना में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- कृषि, डेयरी विकास, पशुपालन और मत्स्य विभाग के परिवीक्षा के लिए आवंटन
- ब्लॉक और जिला पंचायतों के संसाधन
- बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ऋण
  - सभी भूमि को गैर-जमींदार किसानों और किसान समूहों को दिया जाना चाहिए
- नाबार्ड की योजनाएँ
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना / अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना सहित केंद्रीय और राज्य योजनाओं का आवंटन।

सुभिक्षा केरलम विभागों और एजेंसियों को परियोजना में एकीकृत किया जा सकता है

- स्थानीय स्वशासन विभाग
- कृषि विभाग
- पशुपालन विभाग
- डेयरी विकास विभाग
- सहकारिता विभाग
- मत्स्य विभाग
- वाणिज्य और उद्योग विभाग
- जल संसाधन विभाग
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना
- नाबार्ड
- कुदुम्बश्री
- हरीथा केरल मिशन
- कृषि विश्वविद्यालय
- पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय
- मत्स्य विश्वविद्यालय
- और अन्य शैक्षणिक संस्थान

सुभिक्षा केरलम - एकीकृत दृष्टिकोण

- कृषि संबद्ध विभागों और ग्राम पंचायतों / शहरी परिषदों के लिए एकल योजना
- कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को एकीकृत करके जहां भी संभव हो, एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए
- योजनाओं और सेवाओं को विभागों, मिशनों और एजेंसियों के बीच एकीकृत किया जाना चाहिए
- सामाजिक गैर सरकारी संगठनों, किसानों के समूहों, बैंकों, कृषि सहकारी समितियों और एजेंसियों को इस पहल के लिए आकर्षित किया जाना चाहिए।
- ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायतें समृद्ध केरल परियोजना की गतिविधियों के साथ अपनी कृषि विकास गतिविधियों को एकीकृत करके ग्राम पंचायतों की मदद कर सकती हैं।

सुभिक्षा केरलम योजना - संगठन प्रणाली

(ए) राज्य स्तर:

1. मंत्रिस्तरीय उप-समिति
   - माननीय। मुख्यमंत्री ने अध्यक्षता की जाए।
   - कृषि मंत्री ने संयोजक की जाए.
   - स्थानीय स्वशासन, पशुपालन और वन, जल संसाधन विभाग, मत्स्य विभाग, सहकारिता और उद्योग विभाग के मंत्रियों का पैनल होने चाहिए।
2. उच्च स्तरीय समन्वय समिति: -
   - कृषि उत्पादन आयुक्त के अध्यक्ष
   - सचिव, कृषि विभाग, संयोजक,
   - हरीथा केरल मिशन के वाइस चेयरपर्सन,
   - कृषि और विकेंद्रीकृत योजना के लिए राज्य योजना बोर्ड के सदस्य,
   - समिति में विभिन्न विभाग प्रमुख सचिवों के सदस्य शामिल थे

सुभिक्षा केरलम योजना - संगठन प्रणाली

(ख) जिला स्तर

1. समन्वय और निगरानी: - जिला योजना समिति
2. एक तकनीकी समिति: -
   - प्रधान कृषि अधिकारी - संयोजक
   - जिला पशु देखभाल अधिकारी
   - उप निदेशक (डेयरी विकास)
   - उप निदेशक / सहायक निदेशक (मत्स्य)
   - महाप्रबंधक (जिला औद्योगिक केंद्र)
   - संयुक्त पंजीयक (सहयोग)
   - परियोजना अधिकारी (MGNREGS)
   - उप निदेशक (पंचायत)

सुभिक्षा केरलम
स्थानीय स्वशासन संगठन समिति

- अध्यक्ष: - स्थानीय स्वशासन संस्था के अध्यक्ष
- सह-अध्यक्ष: -
- विकास पर स्थायी समिति के अध्यक्ष
- प्राथमिक सहकारी बैंक अध्यक्ष / अध्यक्ष
- संयोजक: - कृषि के कार्यकारी अधिकारी
- संयुक्त संयोजक: - ग्राम पंचायत में सहायक सचिव / शहरी परिषदों में सचिव

कर्तव्य: - स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न विभागों, मिशनों और एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय, समन्वय, निगरानी और निगरानी करना।

सदस्य: -

1. जगह विधान सभा का सदस्य या विधायक का प्रतिनिधि
2. स्थायी समिति के अध्यक्ष
3. क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य
4. क्षेत्र की पंचायत
5. योजना समिति के उपाध्यक्ष
6. स्थानीय सरकार के सचिव
7. उद्योग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास के स्थानीय प्राधिकरण प्रमुख
8. ग्राम विस्तार अधिकारी
9. महात्मा गांधी N.R.E.G.S. इंजीनियर
10. कुदुम्बश्री सी.डी.एस. अध्यक्ष
11. लीड किसान (कृषि / पशु देखभाल / डेयरी विकास / मत्स्य पालन) - एक-एक
12. लघु सिंचाई विभाग के प्रभारी अधिकारी

सुभिक्षा केरलम - वार्ड स्तरीय समिति

- अध्यक्ष: वार्ड सदस्य
- संयोजक: स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कृषि अधिकारी / कर्मचारी का प्रतिनिधि
- सदस्य:
  - सहकारी समिति का प्रतिनिधि
  - कुदुम्बश्री ए.डी.एस. अध्यक्ष
  - किसान स्वयं सहायता समूहों / कुदुम्बश्री JLGs के प्रतिनिधि

जिम्मेदारी: - वार्ड स्तर पर गतिविधियों का समन्वय और निगरानी करना

सुभिक्षा केरलम : - सहायक आदेश : - परिपत्र

1. 18/05/2020 सा ऊ में (एम् यस) नुब. 14/2020. विभाग के आदेश योजना समथा मामलों के आदेश (क)
2. 06/03/2020 सा ऊ में (एम् यस) नुब. 45/2020 स्थानीय स्वशासन (डीए) विभाग का आदेश
3. 14/05/2020 कृषि विभाग के 156/(पी बी) 2/2020-
4. 20/05/2020 सा ऊ में (आर टी) नुब. 928/2020 स्थानीय स्वशासन (डीए) विभाग का आदेश
5. 07/05/2020 में कार विकास के कल्याण विभाग के निदेशक का नंबर ADFW/535/2020-TP2 निर्देश

KILA Help Desk

0487-2455000
0487-2204097

helpdesk@kila.ac.in

KILA DIGITAL REPOSITORY
www.dspace.kila.ac.in

KERALA INSTITUTE OF LOCAL ADMINISTRATION

Website : www.kila.ac.in, Email : info@kila.ac.in